

प्रस्ताव की राज्य कम रां  
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

## भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम रां

7. परियोजना / स्कीम का स्थान :

यह परियोजना हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ द्वारा पेट्रोल/डीजल का एक रिटेल आउटलेट सुलतानपुर-कादीपुर राज्य मार्ग संख्या 34 किमी 164-165 के मध्य बांधी पटरी पर गाठा संख्या 46 स्थित ग्राम गोदलपुर, परगना-अल्देमऊ, तहसील-जयसिंहपुर, जनपद सुलतानपुर ७०५० से श्री पुष्पेन्द्र कुमार प्रजापति पुत्र श्री ओमप्रकाश ग्राम उमरी, पोरट पौधनरामपुर, तहसील कादीपुर, जिला सुलतानपुर की डीलरशिप में स्थापना हेतु प्रभावित 0.075028 हेक्टेक्टर वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति तथा मार्ग की संरक्षित वन भूमि पर ५ अदाद विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों का पातन।

- (i) राज्य / रांघ शासित प्रदेश
- (ii) जिला
- (iii) वन प्रभाग
- (iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्र (हेक्टेक्टर)
- (v) वन की कानूनी स्थिति
- (vi) हरियाली का घनत्व
- (vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिमाणना (सलमन की जाय) सिंचाई / जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एफ.आर.एल.एफ.आर.एल.-2 नीटर पर परिमाणना और एफ.आर.एल. 4मी० में भी सलमन की जाय)
- (viii) भू-दारण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।
- (ix) क्या कामे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव, अभ्यारण्य, जीवमंडल आदि का भाग है (यदि हो तो क्षेत्र का व्यौरा तथा मुख्य वन जीव वाँड़न की टिप्पणियां अनुबंधित की जाय)

उत्तर प्रदेश  
सुलतानपुर  
साठवां वन प्रभाग सुलतानपुर  
संरक्षित वन भूमि - 0.075028 हेक्टेक्टर  
स्वामित्व राज मार्ग प्राधिकरण का है।  
0.2  
सलमन है।

ये भू-भाग भू-संरक्षण की दृष्टि से संवेदनशील नहीं हैं।

नहीं

	(x) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जाति की दुर्लभ / संकटापन / विशिष्ट प्रजातियाँ पायी जाती हैं यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।	नहीं। सामान्यतयः यूके०, सिरस, शीशम, प्रोसोपिस अजून, बबूल आम आदि के वृक्ष राढ़क के किनारे रोपित किये गये हैं।
(xi)	क्या कोई संरक्षित पुरातात्त्विक / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थिति है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा साथ यदि अपेक्षित हो तो दें।	नहीं।
8.	प्रयोगता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवायी रहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं।
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा— (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अनाधिकृत पनेतर/अवक्षित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार। (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित तनेतर/अवक्षित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। (iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों रहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी के समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हरतान्तरित किया जाए)	प्रस्तावित स्थल से 13 किमी० की दूरी पर सुरीली वन भूमि रिथ्त है। संलग्न है। संलग्न है। विवरण संलग्न है। संलग्न है।

11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषत: उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12. विभाग / जिला प्रोफाइल (i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र (ii) जिले का वन क्षेत्र (iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से बनेतर व्रयोग में लागा गया कुल वन क्षेत्र	267289 हेक्टर 636.878 हेक्टर 5 मामले, 60.03248 हेक्टर
(अ) 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि (ख) बनेतर भूमि पर	रिक्त रिक्त 292.583 हेक्टर क्षतिपूरक वनीकरण कराया गया।
13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के रास्तावे में उप वन संरक्षक की रिफारिस।	यह परियोजना हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ द्वारा पेट्रोल/डीजल का एक रिटेल आउटलेट सुलतानपुर-कादीपुर राज्य मार्ग संख्या 34 किमी 164-165 के मध्य वायी पटरी पर गाटा संख्या 46 स्थित ग्राम गोदलपुर, तहसील-जयरिंहपुर, जनपद सुलतानपुर ३०५० में श्री पुष्पेन्द्र कुमार प्रजापति पुत्र श्री ओमप्रकाश ग्राम उमरी, पोरट पौधनरामपुर, तहसील कादीपुर, जिला सुलतानपुर की लीलरशिया में स्थापना हेतु प्रभावित 0.075028 हेक्टर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति तथा मार्ग की संरक्षित वन भूमि पर 5 अद्द विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों का पातन हेतु वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग संस्तुति की जाती है।

दिनांक 18.1.2018  
स्थान—सुलतानपुर।

कौ. सी. बच्चन प्रभारी  
प्रभागीय निवेशक  
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग  
सुलतानपुर।